

खाजीज

21.10.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/140

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
विमला बनाम विनोद आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 193 वर्ष 2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये |
|------------|---|---|
| 15.05.2024 | वकील वादीया द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीया दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 18.06.2024 को पेश हो। | |
| 18.06.2024 | <p>1 कृलाए 10 संकेतन उपास्थान/PU माहः 3000 रूपये</p> <p>मे 0 पत्रावली 18.06.2024</p> <p>गस्त 1000 दिनक 21.10.2024</p> <p>का पेश हो</p> | |
| 21.10.2024 | <p>1 कृलाए 10 संकेतन उपास्थान/PU माहः 3000 रूपये</p> <p>मे 0 पत्रावली 21.10.2024</p> <p>गस्त 1000 दिनक 25.10.2024</p> <p>का पेश हो</p> | |
| 21.10.2024 | <p>वकील वादी ने पारसना पत्र सिवाल पेक्षी केर करने पर पत्रावली को पेक्षी में लिया गइल। वकील वादी ने सिवाल विवा छि वादी पत्रावली के राजीनामा होने के कारण वाद फर आगे नही चलाना चाहते हैं। मौजूदा सिवाल में खाजीज बखाना चाहते हैं। फर वाद मौजूदा सिवाल में खाजीज छिया जाइल है। पत्रावली नम्बर से क्रम में वाद वाद नम्बर तकमील जाइल दाखिल दफ्तर हो।</p> | |

